डॉ. लुईस मराण्डी
मंत्री, कल्याण, महिला, बाल विकास
एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड सरकार

श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री

अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के कल्याणार्थ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का संकलन

कल्याण विभाग द्वारा जनहित में जारी

अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के समग्र विकास हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं।

1. **बहुआयामी विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.):–** बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की संकल्पना सच्चर समिति की सिफारिशों के आलोक में 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत झारखण्ड के 16 जिलों के 44 प्रखण्डों एवं 4 शहरी क्षेत्रों का चयन किया गया है। ये जिले है:–राँची, खूँटी, गुमला, सिमडेगा, साहेबगंज, पाकुड़, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका एवं जामताड़ा। इस योजना के तहत इंदिरा आवास, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, सरकारी विद्यालयों/महाविद्यालयों में अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण कराया जा रहा है।

   इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना संबंधित चिन्हित प्रखण्ड शहर/ समूह के स्तर पर बनायी जाती है। प्रखण्ड स्तरीय 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति इसे पारित करके जिला स्तरीय 15 सूत्री समिति के पास भेजती है, जो इसकी अनुशंसा राज्य स्तरीय समिति को करती है। अन्तत: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति सभी जिलों से प्राप्त अनुशंसित योजना की समीक्षा करते हुए स्वीकृति हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को उपलब्ध कराती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होते ही संबंधित जिलों में योजना कार्यान्वयन की जाती है।

2. **छात्रवृति:–** अल्पसंख्यक छात्रवृति 100% केन्द्रीय योजना है। इसके अन्तर्गत तीन प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसे minorityaffairs.gov.in एवं scholarship.gov.in की website पर भी देखा जा सकता है।

   क. **प्री–मैट्रिक छात्रवृति:–** इसकी शुरूआत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में की गयी थी। इसके अन्तर्गत 1 से 10 तक अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 30 छात्रवृत्ति बालिकाओं के लिए आरक्षित है तथा अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रु. होनी चाहिए। इसके तहत छात्रवृत्ति राशि दर निम्नवत है:–

क्र०सं०	मद	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
1	वर्ग 6 से 10 तक का नामांकन शुल्क	रू० 500/– वार्षिक वास्तविकी	रू० 500/– वार्षिक वास्तविकी
2	वर्ग 6 से 10 तक का शिक्षण शुल्क	रू० 350/– मासिक वास्तविकी	रू० 350/– मासिक वास्तविकी
3	प्रबंधन भत्ता एक एकेडमिक वर्ष में 10 महीने से अधिक भुगतेय नहीं होगा :–		
	(1) वर्ग 1से 5		रू० 100/– मासिक
	(2) वर्ग 6 से 10	रू० 600/– मासिक वास्तविकी	रू० 100/– मासिक

ख. **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:-** इसकी शुरूआत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गयी थी। इसके अन्तर्गत कॉलेजों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 30 छात्रवृत्ति बालिकाओं के लिए आरक्षित है तथा अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रु. होनी चाहिए।

क्र०सं०	मद	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
1	कक्षा 11वीं तथा 12वीं हेतु नमांकन शुल्क तथा शिक्षण शुल्क	रू० 7000/- वार्षिक वास्तविकी	रू० 7000/- वार्षिक वास्तविकी
2	कक्षा 11वीं तथा 12वीं स्तर के टेक्निकल एवं वोकेशनल कोर्स हेतु नामांकन शुल्क तथा शिक्षण शुल्क	रू० 10000/- वार्षिक वास्तविकी	रू० 10000/- वार्षिक वास्तविकी
3	अन्तर स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु नामांकन शुल्क तथा शिक्षण शुल्क	रू० 3000/- वार्षिक वास्तविकी	रू० 3000/- वार्षिक वास्तविकी
4	एक एकेडमिक वर्ष में 10 महीनों हेतु प्रबंधन भत्ता		
	(1)कक्षा 11वीं तथा 12वीं टेक्निकल एवं वोकेशनल कोर्स सहित	रू० 380/- मासिक	रू० 230/- मासिक
	(2) अन्तर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के टेक्निकल एवं वोकेशनल कोर्स के अतिरिक्त	रू० 570/- मासिक	रू० 300/- मासिक
	(3) एम०फिल० तथा पी०एच०डी०	रू० 1200/- मासिक	रू० 550/- मासिक

ग. **मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति:-** इसकी शुरूआत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गयी थी। इसके अन्तर्गत टेक्निकल संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 30 छात्रवृत्ति बालिकाओं के लिए आरक्षित है तथा अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 2.50 लाख रु. होनी चाहिए।

क्र०सं०	मद	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
1	अनुरक्षण भत्ता (10 माह के लिए)	10000/- रू० प्रति वर्ष	5000/- रू० प्रति वर्ष
2	शिक्षण शुल्क	20000/- रू० प्रति वर्ष अथवा वास्तविक जो भी कम हो।	20000/- रू० प्रति वर्ष अथवा वास्तविक जो भी कम हो।

3. **साईकिल वितरण:-** इस योजनान्तर्गत सरकारी विद्यालयों तथा सरकारी मदरसों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्राओं को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु नि:शुल्क साईकिल वितरण की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3230.00 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गयी थी जिसके विरूद्ध 43333 साईकिल वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना हेतु 2000.00 लाख रु. का बजट उपबंध है।

4. **अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना:-** राज्य में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की शिक्षण सुविधा स्तर में उन्नयन हेतु विभिन्न शहरों में उनके लिए छात्रावास निर्माण किये जा रहे हैं। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 400.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

5. **कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी:**–अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तानों को सुरक्षित एवं विवादरहित रखने हेतु उनकी लाभुक समिति के माध्यम से पक्की घेराबंदी की योजना संचालित है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2000.00 लाख रु. आवंटित किया गया एवं 184 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी की स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में 2300.00 लाख रु. का व्यय किया गया था। जिससे कुल 190 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी करने की योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 3000.00 लाख का बजट प्रावधानित है।

6. **अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम:**–अल्पसंख्यकों को ऋण मुहैया कराने हेतु वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को चैनेलाईजिंग एजेन्सी बनाया गया है। इसके अन्तर्गत टर्म ऋण, शिक्षा ऋण, लघु ऋण आदि का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सीधे रूप से क्रियान्वित योजनाएं :–

7. **'नया सवेरा' निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना :–** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल और क्षमता में वृद्धि का अवसर देकर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं/ चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी/निजी क्षेत्र में नौकरियों और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश कराने में सहायता करना है।

पात्रता :

इस योजना के तहत सहायता प्राप्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएं हैं :

- परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 3.00 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अभ्यर्थियों को वांछित पाठ्यक्रम/भर्ती परीक्षाओं में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हक परीक्षा में अपेक्षित अंक प्राप्त किया होना चाहिए।
- किसी छात्र/छात्रा विशेष द्वारा इस योजना के तहत कोचिंग/प्रशिक्षण का लाभ केवल एक बार ही लिया जाएगा, भले ही वह प्रतियोगी परीक्षा में कितनी ही बार शामिल होने का हकदार हो/की हकदार हो।
- कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत संख्या का 30 प्रतिशत छात्रा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाए।

हकदारी :

इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी :

- समूह 'क' सेवाओं के लिए कोचिंग शुल्क का निर्धारण संस्थानों द्वारा ही किया जाएगा, जो अधिकतम 20,000/– रु. होगा तथा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थियों को 3000/– रु. प्रति माह की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों को 1500/– रु. प्रति माह की दर से वृत्तिका।

- समूह 'ख' सेवाओं के लिए कोचिंग शुल्क का निर्धारण संस्थानों द्वारा ही किया जाएगा, जो अधिकतम 20,000/- रु. होगा तथा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थियों को 3000/- रु. प्रति माह की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों को 1500/- रु. प्रति माह की दर से वृत्तिका।
- समूह 'ग' सेवाओं के लिए कोचिंग शुल्क का निर्धारण संस्थानों द्वारा ही किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000/- रु. होगा तथा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थियों को 3000/- रु. प्रति माह की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों को 1500/- रु. प्रति माह की दर से वृत्तिका।
- तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग शुल्क का निर्धारण स्स्थानों द्वारा ही किया जाएगा, जो अधिकतम 20,000/- रु. होगा तथा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थियों को 3000/- रु. प्रति माह की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों को 1500/- रु. प्रति माह की दर से वृत्तिका।
- निजी सेक्टरों में रोजगारों के लिए प्रशिक्षण हेतु कोचिंग शुल्क का निर्धारण संस्थानों द्वारा ही किया जाएगा, जो अधिकतम 20,000/- रु. होगा तथा क्षेत्र से बाहर के अभ्यर्थियों को 3000/- रु. प्रति माह की दर से और स्थानीय अभ्यर्थियों को 1500/- रु. प्रति माह की दर से वृत्तिका।

8. **नई उड़ान:-** यह केन्द्रीय योजना है। ऐसे अल्पसंख्यक अभ्यर्थी जिन्होंने UPSC, State Service Commission, Staff selection Commission का Preliminary Examination उत्तीर्ण कर लिया है उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय मदद दी जाती है। इस योजना के तहत एक बार वित्तीय सहायता रु. 50,000/- राजपत्रित पद और रु. 25,000/- अराजपत्रित पद के लिए दिये जाते हैं।
9. **सीखो और कमाओ:-** यह केन्द्रीय योजना है। वर्ष 2013-14 में शुरू की गयी यह योजना कौशल विकास को प्रोत्साहित करती है। न्यूनतम 33 सीट बालिकाओं हेतु कर्णांकित है।
10. **नई रोशनी:-** यह केन्द्रीय योजना है। महिलाओं को ज्ञान, टूल तथा टेक्निक द्वारा उन्हें सशक्त तथा आत्मविश्वासी बनाने संबंधी योजना है। निबंधित सोसाईटीज़/ट्रस्ट तथा अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसमें 25 महिलाओं (1 बैच) के कोर्स का समय सीमा 6 दिन का होता है। 25 के एक बैच का गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु रु. 71,550.00 तथा आवासीय प्रशिक्षण हेतु रु. 2,21,250.00 का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
11. **पढ़ो परदेस :-** अल्पसंख्यक छात्र जो बैंकों से कर्ज लेकर उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाते हैं, उस कर्ज का पूरा ब्याज इमदाद मंत्रालय द्वारा दी जाती है।
12. **खिदमत : -** अल्पसंख्यकों की सेवा के लिए तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए एक हेल्पलाईन नम्बर - 1800-11-2001
13. **मौलाना आजाद सेहत स्कीम-**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने अंतर्गत आने वाले स्वायत्त निकाय मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन, द्वारा वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के स्वास्थ्य सुधार हेतु नई परियोजना ''मौलाना आजाद सेहत स्कीम'' आरम्भ की। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रयास किए

जाने की योजना है जैसे ''सेहत कार्ड'' जो मौलाना आजाद शिक्षक फाउंडेशन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए गए शिक्षण संस्थानों के प्रत्येक छात्र को जारी किए जाएंगे और सरकारी/प्राईवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों के माध्यम से वर्ष में दो बार निवारक हैल्थ चैक-अप कैंप लगाए जाएंगे।

मेघावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्तियां

इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ संगठन मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएइएफ) द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

एमएइएफ 10वीं पास मेधावी छात्राओं से सीधे आवेदन आमंत्रित करता है और 11वीं और 12वीं कक्षा में आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

पात्रता :

इस योजना के तहत सहायता प्राप्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएं हैं :

- दसवीं की परीक्षा में 55% अंक।
- माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति पा रही छात्रा इस छात्रवृत्ति की पात्र नहीं होगी।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ)

इस योजना का उद्देश्य एम.फिल और पीएच.डी. जैसी उच्चतर शिक्षा में अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है।

पात्रता :

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की पात्रता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताएं हैं :

- अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के विज्ञापन के अनुसार अध्येतावृत्ति के प्रावधानों के अध्यधीन अभ्यर्थी को किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश की शर्तों को पूरा करते हुए उस विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान में पूर्णकालिक एवं नियमित एम.फिल/पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होना चाहिए और पंजीकृत होना चाहिए।
- अध्येतावृत्ति हेतु एक बार पात्र मान लिए गए अल्पसंख्यक समुदाय का छात्र किसी अन्य स्रोत जैसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे किसी अन्य निकाय से इस पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए कोई लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा।
- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एम.फिल/पीएच.डी. में अध्ययन हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी)/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) उत्तीर्ण होना अपेक्षित नहीं होगा।

Setu Printers